निर्णय ब इजलास प्रियंका गोस्वामी आई.ए.एस. अपीलीय अधिकारी (कलक्टर), कोटपूतली बहरोड़

प्रकरण संख्या 144/2025 (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

ईश्वर लाल वर्मा निवासी ग्राम पोस्ट पावटा, तहसील पावटा जिला कोटपूतली बहरोड़।

अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली बहरोड़ ।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 29.09.2025

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जरिये ऑनलाईन पॉर्टल, राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़ के नाम आवेदन प्रेषित कर वांछित सूचना चाही गई, लेकिन नियत समय गुजरने के बाद भी चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील पेश कर वांछित सूचना दिलाने का अनुरोध किया है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सूचना का अधिकार शाखा अतिरिक्त कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़ को अपील मीमों की फोटो प्रति प्रेषित की जाकर बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया, किन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ।
3. पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सूचना का अधिकार शाखा अतिरिक्त कलक्टर कोटपूतली–बहरोड द्वारा अपने पत्र क्रमांक आरटीआई/2025/421 दिनांक 23.09.2025 के द्वारा अवगत कराया अपीलार्थी के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाईन आवेदन दिनांक 01.09.2025 के द्वारा वांछित सूचना चाहने पर अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र के संदर्भ में चाही गई सूचना ऑनलाईन ही आवेदक को दिनांक 11.09.2025 को उपलब्ध करवा दी गई है। अतः इस राज्य लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से अपील ड्रॉप किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी को भी जरिये नोटिस सूचित किया लेकिन अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलान्ट के द्वारा चाही गई वांछित सूचना ऑनलाईन ही अपीलान्ट को उपलब्ध करवा दी जाने से प्रत्यर्थी/राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड के स्तर पर कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से उक्त अपील सारहीन प्रतीत होती है। अतः प्रत्यर्थी द्वारा पेश जवाब एवं दस्तावेज का अवलोकन करने पर अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से अपील खारिज की जाती है।
6. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर फैसल शुमार हो।
7. निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली–बहरोड़

(प्रियंका गोस्वामी)
आई.ए.एस.
अपीलीय अधिकारी (कलक्टर)
कोटपूतली–बहरोड़

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़